

प्रेस-विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात ।

दिनांक:- 27.04.2021

थाना शिवली

दिनांक 26.04.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ०सं० 197/21 धारा 498ए/304बी भा०द०वि० 3/4 दहेज अधि० में वांछित अभियुक्त राघवेन्द्र मिश्रा को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

धारा 151 द०प्र०सं०

दिनांक 26.04.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा थाना, रसूलाबाद 04 एवं अकबरपुर 14 अभियुक्तों को धारा 151 दं०प्र०स० के अन्तर्गत गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।